8. Doordarshan also gave rights of the four serials titled "Flop Show", "Circus", "Dil Darya" and "Doosra Kewal" for telecast on Asian Satellite.

(c) A sum of US Dollar 1.50 lakhs (in foreign currency) and Rs. 9.90 lakhs (in Indian Currency) was earned by giving above coverage to the international chan nels.

(d) During 1996-97 and 1997-98, royal ty amounting to Rs. 5.85 crores, includ ing a foreign exchange component of Rs. 2.22 crores, was paid for acquiring rights of foreign programmes.

मीडिया पर हिंसा के प्रस्ताव से संबंधित समाचार

682. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया**:
श्री वरजिन्दर सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह वताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 मार्च, 1998 को दैनिक "पायनियर" में प्रकाशित "मीडिया वायलैन्स इन्फयलेन्सैज किड्स" ईर्षक की और दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि मीडिया द्वारा हिंसा, अंधविश्वास, अपराध और अश्लीलता वाले कार्यक्रम समय-समय पर प्रसारित होते रहते हैं और इससे अपरिपक्व नागरिकों तथा अबोध बच्चों पर इसका कुप्रभाव पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार की इस बारे में भावी योजना क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस समय, प्रसार भारती (दूरदर्शन) अपने सभी कार्यक्रमों के प्रसारण से पहले उनका पूर्वावलोकन करता है ताकि यह सुनिच्शित किया जा सके कि उनमें अधिक हिंसा या अश्लीलता अ हो जिससे लोगोम पर बुरा प्रभाव पड़े। पूर्वावलोकन से यह भी सुनिच्शित किया जाता है कि सभी कार्यक्रम, कार्यक्रम संहिता एवं विज्ञापन संहिता के अनुरुप है । सरकार ने प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 के प्रावधानों को बहाल करने हेतु एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों की मानीटरिंग के लिए एक प्रसारण परिषद के गठन की व्यवस्था है। केबल नेटवर्क पर केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के प्रवधान लागू होते हैं । अधिनियम की धारा – 5 तथा 6 के अनुसार, केबल विशिष्ट गैजटों/डिकोडरों की सहैंता से प्रप्त हो सकने वाले चैनलों पर कार्यक्रमों/विज्ञापनों के मामले में निर्धारित कार्यक्रम/विज्ञापन संहिताओं का पालन करना अपेक्षित है।

राष्ट्रीय मीडिया नीति

683. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया**:
श्री वरजिन्दर सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह वताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार एक नई राष्ट्रीय मीडिया नीति बनाने की आवस्यकता महसूस कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार इस नई मीडिया नीति को कब तक घोषित करने और लागु करने का विचार रखती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) मीडिया के विभित्र क्षेत्रों में नई जानकारियों शामिल करने के लिए एक राष्टीय मीडिया नीति बनाई जानी आवश्यक है ताकि हमारि सामाजिक आवश्यकताओं तथा हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए एक उद्देश्यपरक वातावरण तैयार किया जा सके।

इस संबंध में, इस मंत्रालय से सम्बद्ध संसदीय परामर्शदात्री समिति की एक उप समिति ने राष्टीय मीडिया नीति पर एक सैद्धान्तिक दस्तावेज तैयार किया था । इस विषय पर वीचार करने के लिए उक्त दस्तावेज परामर्शदात्री समिति के विचाराधीन था।

(घ) चूंकि मामला अभी भी विचाराधीन है, इसलिए कोई निश्चित समवसीमा बता पाना संभव नहीं है।

अहमदाबाद और राजकोट के दूरदर्शन केन्द्रों के कर्मचारियों का दिल्ली स्थानांतरण

684. **श्री गोपाल सिंह जी. सोंलकी** : **क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह वताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) दूरदर्शन महानिदेशक द्वारा संसद के प्रतेक सत्र के दौरान अहमदाबाद और राजकोट के दूरदर्शन केन्द्रों

से किस-किस श्रेणी के, कितने और किन-किन कर्मचारियों को प्रसारण कार्य के लिए दिल्ली बुलाया जाता है;

(ख) इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली दूरर्शन में ऐसे कर्मचारियों के पद रिक्त पडे हुए हैं और प्रत्येक बार विशेषत:इन केन्द्रों से ही और निर्धारित कर्मचारियों को ही किस आधार पर जाता है;

(घ) क्या इन कर्मचारियों को दिल्ली स्थानांतरित करने से स्थानीय केन्द्रों के कार्यक्रम निर्माण और प्रसारण पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) संसदीय कार्यवाहियों के सीधे प्रसारन सतिरिक्त कार्यभार निपटाने के लिए स्टाफ की आवश्यकता पूरा करने हेतु पिछले दो वर्षों के दौरान समय-समय पर दूरदर्शन केन्द्र अहमदाबाद और राजकोट से एक कैमरामैन ग्रेड-1, पांच कैमरामैन ग्रेड-2 तथा टीन वरिष्ठ इंजीनियरी सहैंक एंव चार इंजीनियरी सहैंक दौरा डयूटी पर दिल्ली बुलॅ गए हैं।

(घ) और (ङ) कैमरामैन आदि की अस्थायी तैनाटी की व्यवस्था इसलिए की जाती है कि इससे संबंधित दूरदर्शन का कार्य कम के कम प्रभाबित हो

दूरदर्शन महानिदेशक द्वारा सम्पत्तियों कि खरीद के लिए मानदंड

685. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह वताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन महानिदेशक द्वारा प्रतिवर्ष अपने सभी दूरदर्शन केन्द्रों में कार्यक्रम निर्माण और प्रषारण के लिए सम्पत्तियों की खरीद की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इन सम्पत्तियों की खरीद के लिए मानदंड और निर्धारित वित्तीय प्रव्धान कितना है;

(ग) क्या सभी केन्द्रों के लिए मानदंड समान है और इन सम्पत्तियों के रख-रखाव के लिए सम्पत्ति सहैंकों कॉ नियुक्त किया गया है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान राजकोट दूरदर्शन के लिए कुल कितने मुल्य की ऐसी सम्पत्तियों को खरीदा गया और क्या इन सम्पत्तियों के लिए वहां किसी सम्पत्ति सहैंक की नियुक्ति की गईथी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और क्या सरकार ने इस संबेध मेम स्थिति का आकलन करने हेतु कोई अध्ययन किया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) सामग्रि की खरीद तथा रखखाव बजट अनुदान में से ही उनकी आवश्यकता के अनुसार संबंधित केन्द्रों द्वारा किया जाता है। कुछ केन्द्रों में सम्पत्ति सहैंक भी हैं।

(घ) दूरदर्शन केन्द्र, राजकोट ने प्रारंभ से स्वीकृत बजट अनुदान में से लगभग 10,000/- रू।. मूल्य की निर्माण सामग्री खरीदी है। दूरदर्शन केन्द्र, राजकोट में सम्पत्ति सहैंक का कोई स्वीकृत पद नहीं है। केन्द्र के एक प्रवर श्रेणी लिपिक आदि को सौंपा जाता है।

Ordinance for Prasar Bharati Corporation

686. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRI J. CHITHARANJAN:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the ordinance doing away with the 22 member committee of MPs to observe the functioning of Prasar Bharati Corporation was allowed to lapse by Government;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to bring about some important amendments to the Prasar Bharati Act; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SMT. SUSHMA SWARAJ): (a) Yes, Sir.

(b) The Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Amendment Ordinance, 1997 had removed or modified several important provisions in the principal Act relating to (i) Parliamentary Committee to oversee the functions of the Corporation; (ii) establishment of Broadcasting Council, to